



महानगर लखनऊ-226006
फोन : 0522-2337455
फैक्स नं० : 0522-2337453
Email : sec1@uppac.net

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी-1-152(1)2022 / 708
दिनांक :अप्रैल 03, 2023

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ०प्र० के पत्र संख्या:दस-391/2022 दिनांक 12.11.2022 द्वारा प्राप्त उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प-1(4)/2022 दिनांक 07.11.2022 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2022 की रिक्ति के सापेक्ष उपयुक्त पाये गये निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी०आर० को माह मार्च 2023 में सेवानिवृत्त हुये मुख्य आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	9328	30750412	जितेन्द्र सिंह भदौरिया	दलजीत सिंह भदौरिया	32वीं लखनऊ	2022
2	9329	30690556	अजय नाथ सोनकर	श्री सिद्धनाथ सोनकर	सोनभद्र	2022
3	9330	30440568	दिलीप कुमार	बृजलाल	खीरी	2022
4	9331	30470880	मानवेन्द्र प्रताप सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	20वीं आजमगढ़	2022
5	9332	30680340	अखिलेश कुमार	रामेश्वर	12वीं फतेहपुर	2022
6	9333	30470822	वीरेन्द्र सिंह	रानिवास	पीलीभीत	2022
7	9335	30660016	श्रवण कुमार	श्री नन्दू लाल	02वीं सीतापुर	2022
8	9336	30750050	पारसनाथ पासी	श्री छोटे लाल पासी	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2022
9	9338	30440988	निरंजन सिंह	श्री रामपती प्रसाद	02वीं सीतापुर	2022
10	9339	30550168	प्रताप सिंह	श्री टीका राम	10वीं बाराबंकी	2022
11	9340	30470633	रंजीत सिंह	श्रीपाल	08वीं बरेली	2022
12	9341	30680089	विद्या सागर	श्री गुरुप्रसाद	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2022
13	9342	30460179	मुकेश कुमार	श्री ईलम चन्द	हापुड	2022
14	9343	30650031	रामाश्रय प्रसाद	दीप चन्द्र राम	कमिश्नरेट लखनऊ	2022
15	9344	30750656	शिव शंकर लाल	शिव नाथ शुक्ला	32वीं लखनऊ	2022
16	9345	30471346	विजय कुमार	श्री भगालाल	फतेहगढ़	2022
17	9346	30750803	धीरेन्द्र सिंह	श्री सुधर सिंह	फतेहगढ़	2022
18	9347	30650044	राम केवल यादव	श्री हरदयाल यादव	महराजगंज	2022
19	9348	30470819	कृष्ण पाल	महावीर प्रसाद	रायबरेली	2022

20	9349	30510210	कृष्णकांत वर्मा	श्री मिठाई राम	प्रतापगढ़	2022
21	9350	30550823	शैलेन्द्र कुमार	श्री चरण सिंह	बुलन्दशहर	2022
22	9351	30460313	शेखर चन्द	श्री राजा राम	06वीं मेरठ	2022
23	9352	30750630	नरेन्द्र सिंह	श्री राजपाल सिंह	हाथरस	2022
24	9353	30470271	शिवप्रसाद	रामराजमौर्य	शाहजहाँपुर	2022
25	9354	30750571	मो० तौकीर	श्री मो० दरीश	प्रयागराज	2022
26	9355	30510119	राजमणि चौहान	श्री अर्जुन चौहान	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2022
27	9356	030441167	अगरुद्दीन अन्सारी	मु० गुलवान अन्सारी	बाराबंकी	2022
28	9357	30470691	रामकिशुन	पूर्णमासी	08वीं बरेली	2022
29	9358	30440773	दुर्गेश नाथ	श्री सत्य नारायन	सुरक्षा विभाग	2022
30	9359	30680106	छोटे लाल	श्याम लाल	37वीं कानपुर	2022
31	9360	30440933	परमेश्वर प्रसाद मौर्य	श्री रामधारी मौर्य	02वीं सीतापुर	2022
32	9361	30690127	मनोज कुमार	श्री हरवीर सिंह	मेरठ	2022
33	9362	30550618	अगिल कुमार राठी	श्री धर्मवीर सिंह	सहारनपुर	2022
34	9363	30680252	शैलेन्द्र कुमार	बलदेव प्रसाद	32वीं लखनऊ	2022
35	9364	30470532	राम प्रताप	वीपत प्रसाद	04वीं प्रयागराज	2022
36	9365	030510568	अजय कुमार वर्मा	श्री शिव पूजन वर्मा	बाराबंकी	2022
37	9367	30550474	कुलदीप मलिक	रामपाल सिंह	44वीं मेरठ	2022
38	9368	30750773	अगिल कुमार	श्री कृपाल सिंह	बुलन्दशहर	2022
39	9369	30440076	धनन्जय सिंह	श्री शिवमूरत सिंह	मिर्जापुर	2022
40	9370	30440047	बृजेश कुमार	श्री विजय बहादुर	इटावा	2022
41	9371	30650073	वीरेन्द्र कुमार पाल	श्री विश्राम पाल	सुरक्षा विभाग	2022
42	9372	30510050	अजय कुमार	श्री शोभनाथ वर्मा	सीतापुर	2022
43	9376	030750164 @51494	बबलू हसन	मांगे खां	41वीं गाजियाबाद	2022
44	9377	30650086	दिनेश सिंह कुशवाहा	भृगुनाथ सिंह कुशवाहा	सोनभद्र	2022
45	9378	030440018	गुन्ना चौहान	शिवचन्द्र चौहान	जौनपुर	2022
46	9381	30650406	अखिलेश कुमार	हरिश्चन्द्र यादव	कमिश्नरेट लखनऊ	2022
47	9383	30510207	श्रीप्रकाश	हाकिम सिंह	मथुरा	2022
48	9384	30440223	सुरेश चन्द्र	चोब सिंह	हरदोई	2022
49	9385	30650099	अवधेश राम	सर्व चन्द्र राम	कमिश्नरेट लखनऊ	2022
50	9386	30481363	रामशुद्धीन	श्री सुवराती अली	कमिश्नरेट वाराणसी	2022
51	9387	30650103	मृत्युंजय कुमार गुप्ता	सखी चन्द्र गुप्ता	कमिश्नरेट लखनऊ	2022
52	9388	30660234	अरुण कुमार	गया प्रसाद	कमिश्नरेट लखनऊ	2022

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मि के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो

गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/ सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/ जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: घोषणा-पत्र

(आशुतोष कुमार)

पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- पुलिस आयुक्त लखनऊ/कानपुर/ वाराणसी/प्रयागराज।

2- सेनानायक, 02वीं/4वीं/06वीं/08वीं/10वीं/12वीं/20वीं/32वीं/37वीं/41वीं/44वीं वाहिनी, पीएसी, उत्तर प्रदेश।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, इटावा/बाराबंकी/बुलन्दशहर/मथुरा/महाराजगंज/मेरठ/मिर्जापुर/हरदोई/हाथरस/हापुड़/पीलीभीत/प्रतापगढ़/रायबरेली/सहारनपुर/सीतापुर/सोनभद्र/फतेहगढ़/जौनपुर/शाहजहाँपुर/खीरी।

4- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ).....

पुत्र.....निवासी.....थाना.....

जनपद.....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)

नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"
- 2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0रां0.....धारा.....थाना.....
जनपद.....में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस
अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है
तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।